न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 176/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/270

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.प्रभूराम पुत्र पेमाराम 2.माधाराम पुत्र पेमाराम 3.सूजीदेवी पत्नि पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.ईसरा पुत्र भूदरा 2.बुदीदेवी पत्नि खेताराम 3.रेखादेवी पत्नि प्रभूराम 4.घेवाराम पुत्र भूरा 5.चौथाराम पुत्र जुगता 6.पेमा पुत्र भूरा 7.मोहनलाल पुत्र जुगता 8.सुआदेवी पत्नि पेमाराम 9.सुआदेवी पत्नि घेवाराम जाति मेघवाल 10.जीवोदेवी पत्नि उकाराम जाति कलबी चौधरी 11.चेलाराम पुत्र नगाराम 12. घेवराराम पुत्र नगाराम जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा 13.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सांवलराम मेघवाल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 4 से 9 व 11,12
3. विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 10,13 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 24/02/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचदरा की खेत खसरा संख्या 33 क्षेत्रफल 3.9578 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचदरा की खेत खसरा संख्या 33 क्षेत्रफल 3.9578 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 4 से 9 व 11,12 की ओर से अधिवक्ता श्री सांवतराम मेघवाल की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किए जाने पर अनापति की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 10 एवं 13 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 4 से 9 एवं 11,12 अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचदरा की खेत खसरा संख्या 33 क्षेत्रफल 3.9578 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि कीं सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचदरा की खेंत खसरा संख्या 33 क्षेत्रफल 3.9578 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 4 से 9 व 11,12 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी किए जाने पर आपति नही है।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचदरा की खेत खसरा संख्या 33 क्षेत्रफल 3.9578 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र हैं,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 16.5.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचदरा की खेत खसरा संख्या 33 क्षेत्रफल 3.9578 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/02/25 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 24/02/25
बालोतरा